CEAS

B.C. Coalition to Eliminate Abuse of Seniors

बुज़ुर्गों के लिये जानकारी

यह बुज़ुर्गों के लिये जानकारी पर्चों की कड़ी में से एक है। अन्य पर्चे निम्न हैं:

- *बुज़ुर्गों के प्रति अनुचित व्यवहार व उपेक्षा - क्या यह एक अपराध है?*
- *पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट करना तथा रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है*
- *बुज़ुर्गों के प्रति अनुचित व्यवहार व उपेक्षा तथा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम*
- *कानूनी सहायता कहाँ से लें*
- *अपने जीवन कार्यों के प्रबन्ध में सहायता के लिये अन्य लोगों को अधिकार देना*

अनुचित व्यवहार व उपेक्षा की अडल्ट गार्डियनशिप एक्ट भाग 3 के अंतर्गत रिपोर्ट

यदि आप सोचते हैं कि किसी के साथ अनुचित व्यवहार व उपेक्षा हो रही है, क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिये? यहाँ उदाहरण के रूप में एक आम समस्या दी गई है तथा [इस समस्या में] लोग कैसे सहायता कर सकते हैं:

मेरी आंटी की उम्र 85 वर्ष और वह शारीरिक रूप से असमर्थ है। वह अपनी पुत्री के साथ रहती है जो उसकी एकमात्र परिचारिका है। मैं अक्सर उसे देखने जाता हूँ और मुझे शक है कि उसकी पुत्री उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रही है। जब पुत्री पास नहीं होती तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मेरा सोचना है कि इस विषय को निपटाने के लिए मेरी आंटी को सहायता की आवश्यकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी रिपोर्ट मैं कहाँ करूँ? क्या वरिष्ठों के साथ अनुचित व्यवहार अपराध है?

बुज़ुर्गों के साथ अनुचित व्यवहार के कुछ प्रकार अपराध हैं लेकिन “वरिष्ठ दुर्व्यवहार” नाम का कोई अपराध नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आंटी के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हो रहा है, हो सकता है कि पुलिस इसे प्रहार की संज्ञा दे। बुज़ुर्गों के साथ होने वाले अन्य आम अपराध चोरी, धोखा, धमकी व उपेक्षा हैं। अक्सर एक ही समय में कई अपराध घटित हो रहे होते हैं।

अपनी आंटी से बात करें व जानें कि यह सब उसके लिए कितना गम्भीर है। उससे पूछें कि अपने रहने की व्यवस्था में वह बदलाव लाना चाहती है, यदि कोई है तो वह क्या है। क्या वह खतरे में है, स्वयं को सुरक्षित रख सके इसके लिए कोई योजना बनायें। उसकी योजना में [निम्न प्रसंग] शामिल हो सकते है:

- कोई अन्य परिचारक ढूंढना
- विक्टिमलिंक को फोन करके उन लोगों के बारे में पता लगाना जो उसके समुदाय में उसकी सहायता कर सकते हों। (टैलीफोन नम्बर के लिये पन्ना 2 देखें)
- सुरक्षित स्थान के लिए उसका घर छोड़ें, तथा
- पुलिस को फोन करें।

यदि आप अपनी आंटी से बात करने में असमर्थ हैं, तो लोग हैं जो यह जानने के लिए उसके घर जा सकते हैं कि वह सुरक्षित है तथा उसकी इच्छाएं क्या है। उन्हें **डैज़िग्नेटिड एजेंसीज़** कहते हैं। ये लोग समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करते हैं। वे उन बुज़ुर्गों की जिन पर अनुचित व्यवहार व उपेक्षा का शक हो सकता है तथा जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते, रिपोर्टों को देखते हैं।

यदि आपके पास कंप्युटर है तो आप अपने समुदाय में डैज़िग्नेटिड एजेंसीज खोजने के लिए पब्लिक गार्डियन एंड ट्रस्टी की वैबसाइट www.trustee.bc.ca देख सकते हैं। **गैटिंग सपोर्ट एंड रिपोटिंग एब्यूज़** पर क्लिक करें और फिर नीचे जाते हुये **कम्युनिटी नम्बर्ज़ टू रिपोर्ट सिचुएशंज़ ऑव अडल्ट एब्यूज़ एंड निग्लैक्ट** देखें।

यदि आप कंप्युटर का प्रयोग नहीं करते हैं, आप अपनी आंटी की सहायता कैसे करें यह जानने के लिए नीचे दिये गये नम्बरों पर फोन करके अपनी स्थानीय डैज़िग्नेटिड एजेंसीज का पता ले सकते हैं।

जैसे कि आपकी आंटी को शारीरिक असमर्थता है, हो सकता है कि उन्हें **होम एंड कम्युनिटी केअर** की ओर से सहायता प्राप्त हो। यदि है, तो सम्भवतः उनकी सेवा उसके घर जाने की हो। नर्स आपकी आंटी से पूछेगी कि वह क्या चाहती हैं तथा उन्हें उन सामुदायिक सेवाओं के बारे में बतायेगी जो उसकी सहायता कर सकती हैं।

कभी-कभी डैज़िग्नेटिड एजेंसी को बुजुर्गों के विरुद्ध संदिग्ध अपराध के बारे में पुलिस को बताना पड़ता है। यह केवल तभी होगा यदि आपकी आंटी अपने लिए सहायता नहीं ले सकती या यदि उसकी पुत्री अन्य लोगों के सामने उसे बात नहीं करने देती।

यदि आपकी आंटी अपने निर्णय लेने में समर्थ है, तो डैज़िग्नेटिड एजेंसी उसे स्वयं पुलिस से सम्पर्क करने की सलाह से सकती है। वे दूसरी सहारा सेवाओं को भी उसका हवाला देंगें। कई समुदायों में जो लोग बुरे व्यवहार व उपेक्षित बुजुर्गों के लिए जानकारी व सहायता का उपदान करते हैं वे **कम्युनिटी रिस्पौंस नैटवर्क** से संबन्धित होते हैं।

कम्युनिटी रिस्पौंस नैटवर्क (सी आर एन) यह लोगों व संगठनों का समूह है जो समुदाय में वयस्कों को अनुचित व्यवहार व उपेक्षा से बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। बीसी के अधिकतर समुदायों में सी आर एन हैं। यह जानने के लिये कि क्या आपके क्षेत्र में सी आर एन है, सी आर एन की वैबसाइट www.bccrns.ca पर जायें तथा अपने समुदाय पर क्लिक करें।

यदि आपके पास इंटरनैट का प्रवेश नहीं है, तो अपने क्षेत्र में डैज़िग्नेटिड एजेंसीज व सी आर एन के सम्पर्क नम्बर पाने के लिए आप **बीसी कोलिशन टू इलिमिनेट एब्यूज़ ऑव सीनियर्ज़ (बीसी सी ई ए एस)** को 1-866-437-1940 पर टौल फ़्री फोन कर सकते हैं।

विक्टमलिंक – यह एक प्रांतीय टौल फ़्री टैलीफोन सेवा है जो परिवार व लैंगिक हिंसा के शिकारों के लिये तत्काल आपत्कालिक सहारा, सभी अन्य अपराधों के शिकारों के लिए जानकारी, तथा विक्टम सेवाओं व अन्य साधनों को आपका हवाला प्रदान करती है।

आप बीसी में कहीं भी, 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन टौल फ़्री फोन कर सकते है। यह बहुभाषीय व टी टी वाई सेवा है। बहरे व कम सुनने वाले लोग विक्टिमलिंक को टी टी वाई की सेवा के द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं।

टौल फ़्री नम्बरः 1-800-563-0808
टी टी वाई सेवाः 604-875-0885

यह जानकारी पर्चा सरी हैल्थ ग्रांट की कम्युनिटी, फ़्रेज़र हैल्थ अथौरिटी की वित्तीय सहायता से विकसित किया गया।